सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2026 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः

क्र0 सं0	प्रशाखा/विषय	निर्णय/निदेश
1	**प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के संबंध में।**	विभाग अन्तर्गत सभी कार्यालयों द्वारा **मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–83 दिनांक 09.01.2026** में वर्णित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी जिलों को पत्र भेजा जाए। विभाग अन्तर्गत सभी कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों एवं निष्पादन इत्यादि का सतत् अनुश्रवण हेतु **Reporting Mechanism** विकसित कर उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–1 एवं अनुश्रवण कोषांग)**
2	**7 निश्चय–3 अंतर्गत निर्धारित योजनाओं का क्रियान्वयन के संबंध में।**	(i) **7 निश्चय–3** अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत सरकार भवनों के रख–रखाव को सुनिश्चित करने के लिए PPP अंतर्गत नीति तैयार किया जाना है। उक्त के आलोक में **अनुरक्षण एवं रख–रखाव नीति** का प्रारूप उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। (ii) सभी पंचायत के चिन्हित स्थान पर **मोक्षधाम निर्माण** हेतु मॉडल प्राक्कलन एवं Estimate इत्यादि तैयार किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–2)** (iii) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र आवेदन प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर निष्पादन किए जाने से संबंधित प्रक्रिया/निदेश के संबंध में संगत अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–4 एवं 8)**
3	**पंचायत सचिव एवं अंकेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति।**	समीक्षा बैठक के दौरान सूचित किया गया कि पंचायत सचिव की नियुक्ति से संबंधित मात्र **09 जिलों** से अधियाचना (रोस्टर सहित) प्राप्त हुआ है एवं **शेष जिलों का अधियाचना जिला/ प्रमंडल स्तर पर लंबित** है। अंकेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना तैयार कर उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–1, 4 एवं 7)**
4	**तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन।**	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या–10352/2025 में पारित न्यायादेश दिनांक 04.09.2025 द्वारा तकनीकी सहायक के रिक्त पदों के नियोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है। उक्त न्यायादेश के आलोक में **stay vacate** किये जाने हेतु विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से विचार–विमर्श के लिए प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–3)**
5	**ग्राम कचहरी न्यायमित्र के अर्हता को Re-examine किये जाने के संबंध में।**	बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन की अर्हता को **Re-examine** किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के संबंध में नियमावली के अनुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित किया जाये। **(अनुपालन– प्रशाखा–4)**

क्र0 सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
6	**ऑडिट एवं यू0सी0 मॉड्यूल दिनांक 01.04.2026 से Live किये जाने के संबंध में।**	NIC द्वारा developed ePanchayatBihar पोर्टल पर अंकेक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र से संबंधित प्रावधान किया जाना है। इस संबंध में **उपयोगिता प्रमाण–पत्र मॉड्यूल दिनांक 01.04.2026 से Live** किये जाने हेतु **NIC** से समन्वय कर पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–7 एवं अनुश्रवण कोषांग)**
7	**पंचायतों द्वारा कर, फीस एवं दर अधिरोपित किये जाने के संबंध में।**	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के आलोक में पंचायतो द्वारा **कर, फीस एवं दर अधिरोपित किये जाने हेतु विमर्श** के आलोक में **नियमावली का संशोधित प्रारूप** उच्च स्तरीय निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–8 एवं 10)**
8	**बिहार विधान सभा/ विधान परिषद् से प्राप्त प्रश्न के संबंध में।**	**आसन्न बजट सत्र** के आलोक में बिहार विधान सभा/विधान परिषद् से प्राप्त निवेदन, शून्यकाल, याचिका, आश्वासन, ध्यानाकर्षण, तारांकित, अतारांकित एवं अल्पसूचित लंबित प्रश्न का उत्तर समयावधि के अंदर तैयार कर बिहार विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। **(अनुपालन– प्रशाखा–9 एवं अन्य सभी संबंधित प्रशाखा)**
9	**कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं स्वच्छता के संबंध में।**	कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं स्वच्छता के संबंध में सभी प्रशाखा पदाधिकारी अपने प्रशाखा से संबंधित components के लक्ष्य एवं प्राप्ति की प्रविष्टि सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट swachhbihar.bihar.gov.in पर किये जाने हेतु अद्यतन प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं नोडल पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। **(अनुपालन–सभी प्रशाखा पदाधिकारी)**
10	**ऊर्जा दक्षता सुधार।**	पंचायत सरकार भवन एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन पर ऊर्जा दक्षता सुधार अंतर्गत **रूफटॉप सोलर संयंत्र** लगाये जाने से संबंधित जिलावार अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए। **(अनुपालन–प्रशाखा–2)**
11	**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना।**	RGSA योजना अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले **प्रशिक्षण सामग्री एवं Reference Material इत्यादि** में आवश्यक **branding** सुनिश्चित किया जाए। **(अनुपालन–बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)**
12	**जन शिकायत कोषांग के माध्यम से परिवाद पत्रों का निष्पादन।**	विभाग में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गंभीर प्रकृति के परिवादों यथा–Complaints received from higher offices, complaints involving financial fraud, financial irregularity इत्यादि के मामलों में यदि संबंधित प्रखंड/जिला द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी को यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पुनः निदेश दिया जाए। **(अनुपालन– प्रभारी जन शिकायत कोषांग एवं सभी प्रशाखा)**
13	**पंचायत सरकार भवन**	(i) राज्य अंतर्गत **वैसे पंचायत, जिसमें पंचायत सरकार भवन निर्माण** हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में **आवंटित नहीं किया गया है, को चिन्हित** किया जाए।

क्र0 सं0	प्रशाखा / विषय	निर्णय / निदेश
		(ii) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 01.10.2025 को लोकार्पित 829 पंचायत सरकार भवनों के **हैंडओवर एवं क्रियाशीलता** की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए। (iii) विभागीय संकल्प संख्या–6549 दिनांक 23.05.2025 के आलोक में 1069 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए। (iv) जिला पदाधिकारी, सारण को राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मार पत्र भेजा जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–2)**
14	**लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन**	**मुख्य सचिव** द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन **31 जनवरी, 2026** तक **किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।** निर्धारित समयावधि में उक्त लक्ष्य कि प्राप्ति हेतु दैनिक आधार पर समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। **(अनुपालन– प्रशाखा–7)**

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

14/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 595 / पं०रा० पटना, दिनांक 14 / 1 / 2026

प्रतिलिपिः निदेशक / परियोजना निदेशक / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अवर सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी अनुश्रवण कोषांग / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

14/1/26

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 595 / पं०रा० पटना, दिनांक 14 / 1 / 2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 595 / पं०रा० पटना, दिनांक 14 / 1 / 2026

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव